न्यायालय NT तहसीलदार गडरारोड़,जिला बाड़मेर

राजस्व प्रकरण संख्या 16/19 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 91

सायल

राजस्थन सरकार जरिये

पटवारी हल्का गिराब

बनाम

गैरसालय

श्री रामसिंह पुत्र कुशल सिंह

जाति राजपूत निवासी गिराब

तहसील गड़रारोड जिला बाड़मेर।

निर्णय

पत्रावली आज बमुकाम गड़रारोड़ में पेश हुई गैरसायल की उप./अनु. । पत्रावली का हमने अवलोकन किया संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का गिराब ने धारा 91 के तहत रिर्पोट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि गैर सायल ने ग्राम गिराब के खसरा नंम्बर 645 रकबा 2450-00 बीघा में से 20 बीघा किस्म गोचर राजकीय भूमि पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण काश्त किया है। पटवारी हल्का की रिर्पोट के अनुसार गैर सायल के विरूद्ध धारा 91 आर.एल.आर. एक्ट 1956 के तहत मुकदमा दर्ज रजिस्ट्रर कर गैर सायल को जरिये नोटिस के सुनवाई हेतु तलब किया गया नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ।

अतः गैर सायल को आर.एल.आर. एक्ट 1956 धारा 91 का उल्लघंन करने पर गैरसायल को अतिकमी घोषित किया जाकर उक्त विवादग्रस्त भूमि से बेदखल करने के आदेश पारित किये जाते है साथ ही वार्षिक लगान के पुर्णाक का 50 गुणा जुर्माना राशि रूपये 50 अक्षरे पचास रूपये मात्र से आरोपित किया जाता है। जो गैर सायल से वसुल हो।

टी. आर .ए ,पटवारी हल्का , निरीक्षक भू.अ. आदेश से सुचित हो तथा पत्रावली टी. आर ए के पास मांग कायमी हेतु भेजी जावे।

निर्णय दिनाक 03/05/19 को सरेआम सुनाया गया।

तहसीलदार गडरारोड

तहसीलदार गडरारोड़

जुर्माना 50/- फसल नि. .....

कुल योग 50/- रजि.के पृष्ठ सं. 23

वर्ष 2018-20 में इन्द्राज किया गया ।

राजस्व लेखाकार

Scanned with CamScanner